न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
विविध वाद संख्या-3296/2022
सागर शर्मा बनाम अज्ञात
मु०अ०सं० 445/2022
धारा- 379 भा०दं०सं०
थाना-कविनगर, जिला- गाजियाबाद।

16-07-2022

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। विगत तिथि पर वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी मुकदमा/वाहन स्वामी की ओर से प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत है कि उसे प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार होने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना की गयी है कि अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाय। वादी मुकदमा ने स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट होने का कथन करते हुए अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति न होने का कथन किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वाहन पंजीयन संख्या-UP 14 DR 5454 को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया था। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा काफी प्रयास के बाबजूद भी माल व अभियुक्त का पता न चल पाने के कारण अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है जिसमें कोई तात्विक त्रुटि अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र से स्पष्ट है कि वह अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट है तथा उसके द्वारा अंतिम आख्या को स्वीकार करने की याचना की गयी है। ऐसी दशा में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(संदीप चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।
जे.ओ. कोड नंबर यू पी-1616